

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला - राजसमन्द

व्या..... ११ सन् २०१४ ..... किस्म मुकदमा ११५

सांगीलाल बनाम उमेवर्धन लाल वंशोद्धार

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
---------	-----------------

29<sup>01</sup>/<sub>2024</sub> पत्रावली पेश दुर्घी अधिवक्ता वादी ने उपाक्षिप्त होकर नोट प्रेस कर प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाही है। अधिवक्ता वादी हाथ प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहेगी एवं नोट प्रेस करने से प्रकरण इसी स्टेज पर खारीज डिफा जा रहा है। पत्रावली फौदल शुमार हो कर नम्बर हो कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*net pwr*  
*Shroder*



3  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
जिला-राजसमन्द